दिनांक 18 मार्च'96 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 31 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण:

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की 31 वीं बैठक दिनांक 18.03.96 को अपरान्ह 3.00 बजे माननीय श्री नरेन्द्र नाहटा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

(1) श्री जी.एस. शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

(2) श्री अवनि वैश्य,
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(3) श्री बी.पी. शर्मा
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

(4) डॉ. एच.ए. वच्छानी
संचालक, तकनीकी शिक्षा
तकनीकी शिक्षा संचालनालय

(5) डॉ. राम प्रसाद
महानिदेशक
म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

(6) श्री के.एम. जोहरी
कार्यकारी संचालक
म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

सर्वप्रथम परिषद की ओर से श्री के.एम.जौहरी कार्यकारी संचालक ने माननीय मंत्री महोदय श्री नरेन्द्र नाहटा , जो कि परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं का स्वागत किया एवं बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया । तत्पश्चात् कार्यसूची पर चर्चा आंरभ हुई :-

....2

कार्यसूची क्रमांक(1):दिनांक 6 फरवरी 1996 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सत्यापन ।

दिनांक 6 फरवरी 96 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 30 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण परिषद द्वारा समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन पश्चात सभी सदस्यों को भेजा गया ।

अतः उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सत्यापन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक(2): 30 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर प्रगति प्रतिवेदन ।

समिति के सदस्यों को लिए गये निर्णयों से अवगत कराया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त कि मौलना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को भूमि के अग्रिम अधिपत्य हेतु लिखा जा सकता है एवं इसमें संस्था की गर्वनिंग बॉडी की सहमति बाद में भी प्राप्त की जा सकती है वैज्ञानिकों की वरिष्ठता निर्धारण पर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के सभी मुद्दों को किसी अविवादास्पद अशासकीय समिति को सोप दिया जाना चाहिए जो कि अपनी अनुशंसाएं परिषद को दें एवं समिति गठन हेतु महानिदेशक को अधिकृत किया जाएं । समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक(3):परिषद के विनियमों में संशोधन ।

इस संबंध में एक उप समिति गठित की गई जो कि विनियमों को अद्यतन करने के साथ साथ अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देगी । इस हेतु इस प्रकार की अन्य पंजीकृत संस्थाओं जेसे- पर्यावरण सरंक्षण एवं नियोजन संगठन(एप्को), भारतीय वन प्रबंध संस्थान(आई आई एफ एम) इत्यादि के विनियमों का अध्ययन किया जा सकता है । समिति निम्नानुसार है :-

(1) श्री जी.एस. शुक्ला, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
(2) महानिदेशक, म0प्र0विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
(3) श्री मनोहर पाण्डे, उप सचिव म0प्र0 शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

कार्यसूची क्रमांक(4):परिषद के बजट अनुमान वर्ष 1995-96 एवं प्रस्तावित बजट वर्ष 1996-97

कार्यकारी समिति में इस प्रकार का बजट बनाकर पहली बार रखे जाने के प्रयत्न की सराहना कर विस्तृत चर्चा की एवं अनुमोदित किया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि बजट के साथ साथ समय-समय पर परियोजनाओं की समीक्षा भी होती रहना चाहिए जिसमें परियोजना संबंधी संचालक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक परियोजना को प्रस्तुत करें एवं उसके वित्तय एवं भौतिक प्रतिवेदन से भी अवगत कराएगें ।

......3

इस प्रकार सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अप्रेल-1996 के प्रथम सप्ताह में अध्यक्ष महोदय की सुविधानुसार तिथि लेकर प्रस्तुत की जाये । लेखा एवं बजट कार्यों में कम्प्युटर को उपयोग में लाया जाए ।

कार्यसूची क्रमांक(5): परिषद के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन ।

प्रस्तुत लेखों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक(6): परिषद की सेवाशर्तों का अनुमोदन ।

यह निर्णय लिया गया प्रस्तावित सेवाशर्तें संबंधी नियमों को उपरोक्त (कार्यसूची क्रमांक 2 संबंधी) गठित समिति को परीक्षण हेतु सौंप दिया जाए एवं इस समिति के समक्ष संबंधित पक्षों को सुनवाई का भी असवर दिया जाऐ ।

कार्यसूची क्रमांक(7): डॉ. एस.एस.तोमर, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक की सेवाओं बाबत ।

सर्वसम्मति से डॉ. एस.एस.तोमर, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक को दिनांक 31.3.96 को उनके मूल विभाग में वापस करने की कार्यवाही का समिति ने अनुमोदन किया ।

कार्यसूची क्रमांक(8): डॉ. एस.एस.रघुवंशी, संयुक्त संचालक की पदोन्नति का प्रकरण ।

(I) डॉ. रघुवंशी को पदोन्नति का अवसर देने हेतु उनके द्वारा दी गई सहमति के अनुसार उन्हें 31.3.96 से मूल विभाग को वापस किया जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

(II) परिषद में उनकी पदोन्नति बाबत उनके अभ्यावेदन पर उन्हें उत्तर भेज दिया जावे कि उनकी पदोन्नति की मांग मान्य करने योग्य नहीं है ।

कार्यसूची क्रमांक(9): श्री असदउल्ला खाँ, वाहन चालक की डॅयूटी बाबत् ।

प्रस्ताव वापस लिया गया ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

कार्यसूची क्रमांक(10): बायोटेक्नालॉजी के क्षेत्र में यूनिडो का सहयोग ।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यूनिडो से संवाद जारी रखा जाए तथा उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाए । उनको परिषद एवं म0प्र0 शासन की वित्तीय स्थिति से भी अवगत करा दिया जाए ।

......

/मण्डलोई/